



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1236]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2011/आषाढ़ 9, 1933

No. 1236]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2011/ASADHA 9, 1933

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2011

का.आ. 1484(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 का संशोधन करना आवश्यक और समीचीन है, अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अनुसूची के पैरा 13 में उप-पैरा (ख) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. के-11033/50/2010-एमजीएनआरईजीए]

डी. के. जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 1 को निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किया गया :-

1. का.आ. 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007
2. का.आ. 88(अ), तारीख 14 फरवरी, 2008
3. का.आ. 1489(अ), तारीख 18 जून, 2008
4. का.आ. 3000(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2008 ।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2011

S.O. 1484(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendments in the Schedule I to the said Act, namely :—

In the said Schedule, in paragraph 13, sub-paragraph (b) shall be omitted.

[F.No. K-11033/50/2010-MGNREGA]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

Note : Schedule I to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) has been amended *vide* following Notification numbers :—

1. S.O. 323(E), dated 6th March, 2007
2. S.O. 88(E), dated 14th February, 2008
3. S.O. 1489(E), dated 18th June, 2008
4. S.O. 3000(E), dated 31st December, 2008.